Vidhyayana - ISSN 2454-8596

An International Multidisciplinary Peer-Reviewed E-Journal

www.vidhyayanaejournal.org

Indexed in: ROAD & Google Scholar

लूनावाड़ा राज्य के दिवान हरगोविंदास कांटावाला: एक समाज सुधारक के रूप में

चौधरी सरोजबेन पूंजीराम

रीसर्च स्कॉलर,

इतिहास विभाग, हेमचन्द्राचार्य उत्तर गुजरात युनिवर्सिटी, पाटन

Vidhyayana - ISSN 2454-8596
An International Multidisciplinary Peer-Reviewed E-Journal
www.vidhyayanaejournal.org
Indexed in: ROAD & Google Scholar

सारांश:

लुनावाड़ा राज्य के शासक हरगोविंददास कांटावाला सुधार युग के कवियों में से एक थे। जिनका जन्म 16 जुलाई 1844 को उमरेठ में हुआ था। 1875 ई. से ई 1876 तक उन्हें वडोदरा राज्य के शिक्षा विभाग में सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गायकवाड़ सरकार ने साहित्य सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको 'साहित्य मार्तंड' स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। हरगोविंददास कांतावाला ने सामाजिक सुधार के लिए अनेक प्रयास किए।उन्होंने बाल विवाह, शिशुहत्या, उत्प्रवास, विधवा विवाह जैसे अत्यंत प्रगतिशील सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाकर समाज को सुधारने का प्रयास किया। उनके इसी प्रयासों का मुल्यांकन कर उस पर अनुसंधान करने हेतु प्रस्तुत शोधपत्र तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द और वाक्यांश: समाज सुधारक, हरगोविंददास कांटावाला, लूनावाड़ा राज्य, गुजरात

1. आमुख

उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान प्राचीन काल से गुजरात के समाजों में पारंपरिक बुराइयाँ और दोष थे। जिसमें जाति व्यवस्था, शिशुहत्या, बाल विवाह, प्रवास पर प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा आदि कुरीतियां फैली हुई थी। अंग्रेजी शासकों और देशी राज्यों ने गुजरात में सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। के शासन के कारण उस समय गुजरात में ब्रिटिश सरकार ने पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव को कुछ आधुनिक सोच वाले समाज सुधारकों के साथ घटित किया। ये समाज सुधारक प्रणालीगत रूढ़िवादी परंपराओं की बुराइयों को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। उनके प्रयासों से गुजरात में सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आया।

Vidhyayana - ISSN 2454-8596
An International Multidisciplinary Peer-Reviewed E-Journal
www.vidhyayanaejournal.org
Indexed in: ROAD & Google Scholar

2. गुजरात के समाज सुधारक

उन्नीसवीं सदी में गुजरात में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से कुछ आधुनिक सोच वाले समाज सुधारकों ने सामाजिक सुधार गतिविधियों को अंजाम देकर एक आधुनिक समाज बनाने का प्रयास किया। जिसमें नर्मदाशंकर, दलपतराम, गोवर्धनराम त्रिपाठी, महिपतराम रूपराम, भोलानाथ साराभाई, नवलराम पंड्या, दुर्गाराम मेहताजी, करशनदास, बेहरामजी मालाबारी आदि समाज सुधारकों ने समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। जिसमें लुनावाड़ा राज्य के राजप्रतिनिधि हरगोविंदास कांतावाला ने भी सामाजिक कुरीतियों और सामाजिक सुधार गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

3. हरगोविंददास कांतावाला का जीवन परिचय

लुनावाड़ा राज्य के शासक हरगोविंददास कांटावाला सुधार युग के कवियों में से एक थे। जिनका जन्म 16 जुलाई 1844 को उमरेठ में हुआ था। 1875 ई. से ई 1876 तक उन्हें वडोदरा राज्य के शिक्षा विभाग में सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 1903 ई. में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 'राव बहादुर' की उपाधि दी। 1905 ई. में, उन्होंने लुनावाड़ा राज्य के दीवान के रूप में सेवा की और महान कार्य किए। 1920 ई. में उन्हें गुजराती साहित्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया। गायकवाड़ सरकार ने साहित्य सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए हरगोविंदास कांटावाला को 'साहित्य मार्तंड' स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। समाज सुधारक के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन से जुड़कर भारत के लोगों में स्वदेशी की भावना जगाने का भी प्रयास किया। वे राष्ट्रीय संग्राम के रचनात्मक कार्यक्रमों के कार्यकर्ताओं के साथ स्वदेशी आन्दोलन में भी शामिल हुए। जिसमें हरगोविंददास स्वदेशी वस्त्रों, स्वदेशी वस्तुओं और उद्योगों को बढ़ावा देने वाले अग्रदूतों में से थे।लूनावाड़ा राज्य के राज्यपाल हरगोविंददासकांटावाला ने भी अपने साहित्यिक लेखन के माध्यम से गुजरात में सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए कदम उठाए

Vidhyayana - ISSN 2454-8596
An International Multidisciplinary Peer-Reviewed E-Journal
www.vidhyayanaejournal.org
Indexed in: ROAD & Google Scholar

थे। उनके द्वारा दिए गए सामाजिक कार्य और समाज सुधार के विचार इस प्रकार हैं।

4. हरगोविंदादास कांतावाला के सामाजिक सुधार के विचार

हरगोविंदादास कांतावाला द्वारा गुजरात राज्य एवं लूनावाडा राज्य में समाज सुधार के हेतु जो भी प्रयास किये गए है, वह इस प्रकार है :

4.1 जाति व्यवस्था में सुधार :-

उन्नीसवीं शताब्दी में गुजरात में जाति व्यवस्था प्रचलित हो गई। जाति व्यवस्था के कारण लोगों में एक दूसरे के प्रति भावनाओं और आत्मीयता का अभाव था। जातिगत भेदभाव, जातिगत भेदभाव और शत्रुता थी।गुजरात में, हरगोबिंददास कांटावाला और अंबालाल साराभाई जाति व्यवस्था में सुधार की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति थे। हरगोविंदास ने युवाओं से जाति व्यवस्था जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जाग्रत होने की अपील की। उन्होंने युवाओं से कहा कि "जाति एक स्वतंत्र राज्य है। एक अच्छे युवा नागरिक के रूप में आप समाज के नेता बन सकते हैं और जाति व्यवस्था के भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और भाई-भतीजावाद को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं।" आने वाले खर्चों में कटौती करके धन जुटाने के लिए।

कुछ धार्मिक जातियों ने अपने समाज को शिक्षित करने के लिए पत्रिकाएँ शुरू कीं। जिसमें जैनधर्म, प्रकाश, द श्रीमालीशुभेच्छक, द ऑडिच्याहितेच्छु आदि पत्रिकाएँ निकालकर जाति व्यवस्था के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया। विभिन्न जाति समूहों के बीच सुधार लाने और समाज को आगे बढ़ाने के अभियान में समाज में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की गई। हरगोविंदास कांटावाला उस समय के घांची समाज की बेहतर प्रतिष्ठा की तुलना वाणिया समाज से करते हैं। यह कहा जा सकता है कि सुधार और परिवर्तन लाने के लिए एक जाति दूसरी जाति से प्रतिस्पर्धा करती थी।

Vidhyayana - ISSN 2454-8596
An International Multidisciplinary Peer-Reviewed E-Journal
www.vidhyayanaejournal.org
Indexed in: ROAD & Google Scholar

4.2 बालविवाह सम्बन्धी संशोधन

19वीं सदी के दौरान गुजरात में बाल विवाह की प्रथा को समाज में एक कलंक के रूप में देखा जाता था। सुधारवादियों ने इस प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। लड़के और लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। जिसके कारण लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे थे। इसके अलावा कम उम्र में बाल विधवा होने का भी असर देखा गया। कई समाज सुधारकों ने इस प्रथा की आलोचना की है इच्छाराम देसाई, नवलराम और नर्मद भी इस प्रथा के शिकार हुए।

हरगोविंदास कांतावाला ने भी बाल विवाह की निंदा की है। उनका मानना था कि बाल विवाह को रोका जाना चाहिए। बाल विवाह लड़के और लड़कियों के लिए आजीवन अभिशाप है। इसमें आगे कहा गया है कि बाल विवाह के कारण महिलाओं की युवावस्था में मृत्यु हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। कम उम्र में शादी कर लेने से जिंदगी अच्छी नहीं हो जाती। वे कुछ बीमारियों से ग्रस्त हैं। 1922 ई. में उन्होंने खादयता परिषद के अध्यक्ष के रूप में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उपायों की चर्चा की। बाल विवाह को रोकने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने के लिए समाज सुधारकों ने कविता और नाटक के रूप में साहित्य लिखकर अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। इस प्रथा को मिटाने के लिए 1871 में गुजरात में 'बाल विवाह निषेध समाज' की स्थापना की गई। जिसमें 300 सदस्य शामिल हुए। इस समाज के सदस्यों के साथ यह निर्णय लिया गया कि समाज के सदस्य सोलह वर्ष की आयु के बाद अपने बच्चों का विवाह कर सकते हैं। जोड़े और दुल्हन के बीच पांच साल का अंतराल होना चाहिए। समाज द्वारा 'बल्लग्ना निषेधक पत्रिका' नामक एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। हरगोविंदासकांतावाला ने गुजरात में सामाजिक उथल-पुथल के युग में बाल विवाह की आलोचना की। उन्होंने शास्त्रों, विज्ञान और अपने सामाजिक विचारों के आधार पर माता-पिता को समझाने का प्रयास किया, कहा जा सकता है कि वे अपने उदार विचारों से कुप्रथा को चुनौती देने में सफल रहे।

Vidhyayana - ISSN 2454-8596
An International Multidisciplinary Peer-Reviewed E-Journal
www.vidhyayanaejournal.org
Indexed in: ROAD & Google Scholar

4.3 उत्प्रवासन पर रोक

उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान गुजरात में विदेश जाने पर प्रतिबंध था। इसे उस समय गुजरात की सामाजिक बुराइयों में से एक माना जाता था। विदेश में कोई नहीं रह सकता था। यदि कोई व्यक्ति विदेश या समुद्र के पार जाता था तो उसे बाहर कर दिया जाता था। विदेश जाने वाले व्यक्ति को बहिष्कृत कर दिया जाता था। इससे विदेश जाने वाले लोगों को जाति से बाहर होने का डर महसूस होता था। महिपत्रम ने भी विदेश यात्रा की, जिसके कारण उसे माना जाता था कि नट को कई दिनों तक बाहर रखा गया था।

हरगोविंददास ने अपने कटु विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भारत प्राचीन काल में समृद्ध समझा जाता था। जिसके कारण प्राचीन काल से ही विभिन्न विदेशी शासक अपनी सेनाओं के साथ या तो राज्य जीतने के बहाने या व्यापार के बहाने समुद्र के रास्ते आया करते थे। उनका कहना है कि उस समय के लोग भारत में अपना एडवेंचर और रिस्क लेकर आते थे। गुजरात के व्यापारी लोग इस तरह के जोखिम भरे उपक्रम करते थे। वह प्रवास पर इस प्रतिबंध की आलोचना करते हैं और नोट करते हैं कि शास्त्रों या शास्त्रों में प्रवास पर प्रतिबंध नहीं है, फिर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाना चाहिए? यदि हमारे पूर्वज भी विदेश यात्रा कर रहे थे तो लोगों के विदेश जाने का विरोध करना हमारे लिए अनुचित समझा जाता है।

4.4 विधवा पुनर्विवाह सम्बन्धी सुधार के प्रयास

गुजरात के समाजों में विधवाओं का स्थान दयनीय और आश्रित था।उस समय के समाजों में विधवाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।उस समय के समाज को कठोर सोच और हतोत्साहित के रूप में देखा जाता था। विधवाओं को पति के साथ सती होना पड़ता था या आश्रित पद पर इन्हीं बातों पर निर्भर रहना पड़ता था। विधवाओं को आजीवन विधवापन जीना पड़ता था। विधवा पुनर्विवाह का विरोध

Vidhyayana - ISSN 2454-8596
An International Multidisciplinary Peer-Reviewed E-Journal
www.vidhyayanaejournal.org
Indexed in: ROAD & Google Scholar

उस समय की उच्च जातियों में देखा जाता था। समाज सुधारकों को विधवाओं की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर अत्यंत घृणा होती थी। सन् 1856 ई. में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने पर भी विधवाओं की स्थिति दयनीय थी, जिसमें विधवाओं के साथ-साथ कम उम्र में बच्चों का विवाह करने वाली बाल विधवाएँ भी इन समस्याओं से घिरी हुई थीं। है। 1971 में, देसी राज्यों और वडोदरा राज्य में पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था। विधवाओं को समाजों में अशुभ माना जाता था। समाज सुधारकों ने विधवा विवाह की रूढ़िवादिता को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी।विधवाओं को अपमान का जीवन व्यतीत करना पड़ता था।

विधवा विवाह के समाज सुधारकों के साथ-साथ हरगोविंदासकांतावाला ने भी कई प्रयास किए। वे प्राचीन शास्त्रों का आधार लेते हुए कहते हैं कि प्राचीन शास्त्रों में, वेदों में या किसी अन्य शास्त्रों में कहीं भी विधवा विवाह का निषेध नहीं है।यदि वेदों में पुनर्विवाह की अनुमति है, तो समाज इसका विरोध क्यों करता है? आपके देश में सबसे खराब स्थिति विधवाओं की है। इस प्रकार हरगोविंददासकांतावाला कहते हैं कि समाज को विधवाओं के प्रति अच्छा रवैया अपनाना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए और पुनर्विवाह का तिरस्कार किया जाना चाहिए।इस प्रकार समाज सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किए।

4.5 शिशु-हत्या पर सुधार के प्रयास

गुजरात की कुछ जातियों में छोटी बच्चियों को दूध पिलाने की प्रथा प्रचलित थी। जो राजपूत, जडेजा और कानबी जैसी जातियों में देखने को मिलता था। अहमदाबाद, चरोतर और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में कन्या भ्रूण हत्या देखी जाती थी।उन दिनों लड़की का जन्म बोझ समझा जाता था। साथ ही दूध पीने की प्रथा भी थी ताकि परिवार को लड़कियों की शादी का खर्चा न उठाना पड़े। 1808 ई. में जडेजा, जेठवा

Vidhyayana - ISSN 2454-8596
An International Multidisciplinary Peer-Reviewed E-Journal
www.vidhyayanaejournal.org
Indexed in: ROAD & Google Scholar

राजपूतों और पाटीदारों के बीच इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

1844 ई. में समाज सुधारकों द्वारा इस प्रथा के विरुद्ध जनमत बनाने का प्रयास किया गया। उस समय ब्रिटिश सरकार ने कच्छ और काठियावाड़ की राजपूत जातियों में शिशुहत्या निषेध पर निबंध मंगाकर पुरस्कार देने की घोषणा की थी। साथ ही 1869 ई. में पटड़ी के दरबारी दरबार के नेतृत्व में इस प्रथा को बंद करना स्वीकार किया गया।उस समय की ब्राह्मण और वाणिय जातियों में यह प्रथा नहीं देखी गई। है। 1871 में गुजरात में लेउआ और कदवा दोनों जातियों के कानबी के जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करने के लिए एक कानून पारित किया गया था। हरगोविंदासकांतावाला ने भी इस मूर्तिपूजा की कड़ी आलोचना की है। वह शिशुहत्या के भी खिलाफ थे उनका मानना था कि समाज में महिलाओं का उचित स्थान होना चाहिए। वे स्त्री शिक्षा के हिमायती थे। वे कहते हैं कि 'कन्या हत्या एक अपराध है।' अंग्रेजी शासन के आगमन और नए कानूनों को लागू करने के अभियान के बाद, ई. में शिशु-विरोधी को समाप्त कर दिया गया था। 1930 में सारदा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के कारण इसमें परिवर्तन हुआ।

5. मूल्यांकन:

इस प्रकार कहा जा सकता है कि हरगोविंददास कांतावाला ने सामाजिक सुधार के लिए अनेक प्रयास किए।उन्होंने बाल विवाह, शिशुहत्या, उत्प्रवास, विधवा विवाह जैसे अत्यंत प्रगतिशील सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाकर समाज को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने समाज से ऐसी बुराइयों को दूर कर समाज की रक्षा और समाज को ऊपर उठाने के लिए अथक प्रयास किए।उन्होंने महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास किया। हरगोविंददासकांतवाला को उस समय का शिक्षाविद और समाज सुधारक कहा जा सकता है।

Vidhyayana - ISSN 2454-8596
An International Multidisciplinary Peer-Reviewed E-Journal
www.vidhyayanaejournal.org
Indexed in: ROAD & Google Scholar

संदर्भसूचि

(1) पंड्या (डॉ) रामचंद्र एन।, "गुजरात की सांस्कृतिक विरासत", प्रथम संस्करण, अंडा बुक डिपो, अहमदाबाद, 1966

(2) देसाई (डॉ) नीरा ए।, "सोशियल चैंज इन नाइनटीन्थ सेंच्युरी ऑफ़ गुजरात", दूसरा संस्करण, यूनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण बोर्ड, गुजरात राज्य, अहमदाबाद, 1998

(3) देसाई (डॉ) शांतिलाल एम., "राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और गुजरात", प्रथम संस्करण, यूनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण बोर्ड, गुजरात राज्य, अहमदाबाद, 1972

(4) शास्त्री हरिप्रसाद, पारिखप्रवीणचंद्र (संपादक), "गुजरात का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास (ब्रिटिश काल)", खंड -8, प्रथम संस्करण, सेठ भोलाभाई जेशिंगभाई शोध संस्थान, अहमदाबाद, 1984

(5) पढ़ियार मधुसूदन, "गुजरात के सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय उत्थान के लिए हरगोविंदास कांटावाला का योगदान, गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, 1989 (अप्रकाशित शोध पत्र).